

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का पुराना नाम तथा उस सेवा सका नाम, जिसमें वह हो

महेश सिंह परमार

2. वर्तमान धारित पद

वाहन चालक

3. वर्तमान मूल्य 64000 + 19000 रुपये

अगली वृद्धि की तारीख

उस जिले, उपसभागा तालुका, तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा व्यापक वर्णन	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला-रायसेन त:-गोहखंडा ग्राम-पिशानखेडा	दो एकड़ 30 लाख कृषि भूखंड लगाना		स्वयं	विरासत	28,000/-		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना समभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदृश में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे में सम्मिलित है।

टिप्पणी-मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनका स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

महेश सिंह परमार

पद

वाहन चालक